न्यायालय–अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

पीठासीन न्यायाधीश–पी०एस० मरकाम

जमानत आवेदन क्र.–1173/2026

थाना–सुपेला के **अप.क्र.–718/2026 से उद्भूत विचारण न्यायालय के दां०प्र०क्रं०–19662/2026 धारा 317(2), 318(4), 3(5)बीएनएस** में पारित **प्रथम जमानत आदेश दिनांक 12.08.2026** की सत्यप्रतिलिपिः

विजय कुमार सोनी आ०–स्व० मनहरण सोनी, उम्र–37 वर्ष,
निवासी–म०नं०–3, सड़क केशलुर तोकापाल राजूर
बस्तर, जिला–बस्तर (छ०ग०)

.....**आवेदक/आरोपी**

//विरूद्ध//

छ०ग० राज्य, द्वारा–थाना प्रभारी,
थाना–सुपेला, जिला–दुर्ग (छ०ग०)

.....**अनावेदक/राज्य**

जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

12.08.2026 आवेदक/आरोपी विजय कुमार सोनी की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा अधिवक्ता ।

अनावेदक/राज्य की ओर से श्री राकेश कुमार यादव अपर लोक अभियोजक ।

प्रकरण आवेदक/आरोपी विजय कुमार सोनी की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर सुनवाई हेतु नियत है ।

थाना–सुपेला के अप.क्र.–718/2026 से उद्भूत विचारण न्यायालय के दां०प्र०क्रं०–19662/2026 धारा 317(2), 318(4), 3(5)बीएनएस से संबंधित प्रकरण प्राप्त ।

इस आदेश द्वारा आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का निराकरण किया जा रहा है ।

आवेदक/आरोपी की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया है कि आवेदक/आरोपी का यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र है । इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य सत्र न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही लंबित है और न ही निरस्त किया गया है । इस संबंध में आवेदक/आरोपी के भाई अजय सोनी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

आगे यह भी तर्क किया गया है कि आवेदक/आरोपी निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है । उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है । प्रथम सूचना प्रतिवेदन में अभियुक्त का नाम नहीं है और न ही अपराध में आरोपी की किसी प्रकार से संलिप्तता है । उसका पूर्व में कोई अपराधिक रिकार्ड नहीं है । वह करीब ढाई माह से न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है और वह अपने परिवार का एकमात्र आय अर्जित करने वाला व्यक्ति है, जिससे उसके अधिक दिनों तक जेल में निरुद्ध रहने से उसके परिवार के समक्ष आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गयी है । आवेदक के विरुद्ध दर्ज अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध नहीं है । अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है । प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है । वह न्यायालय के समस्त शर्तों का पालन करने हेतु तैयार है । अतः आवेदक/आरोपी को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया गया है ।

अनावेदक/राज्य की ओर से विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन पर आपत्ति करते हुए जमानत

आवेदन पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।

उक्त जमानत आवेदन पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं का तर्क सुना गया ।

थाना–सुपेला के अप.क्र.–718/2026 से उद्भूत विचारण न्यायालय के दां०प्र०क्रं०–19662/2026 धारा 317(2), 318(4), 3(5)बीएनएस का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार थाना प्रभारी सुपेला को दिनांक 24.05.2026 को मुखबिर के जरिये फोन से सूचना मिला कि 03 लड़के जगदलपुर निवासी, भिलाई सुपेला आये है, जो रावणभाटा निवासी विशाल गुप्ता सुपेला को अवैध रुप से बैंक खाता को आईपीएल सट्टा व म्यूल एकांउट में उपयोग हेतु बेचने के लिए आये है । उक्त तीनों व्यक्ति पांच रास्ता हनुमान मंदिर सुपेला ओवरब्रीज के पास है, जिसमें से एक लडका के पास काला रंग का बैग है, जिसमें अवैध खाता के संबंध में पासबुक एटीएम कार्ड आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज है, जिसे बेचने के लिए पहुंचे है । उक्त सूचना पर गवाहों को नोटिस दिया जाकर विधिवत कार्यवाही कर घेराबंदी कर संदेही व्यक्तियों को पकडा

गया, नाम पता पूछने पर अपना नाम मनोज भुतडा, केवल सेठिया, सत्य नारायण सेठिया बताया गया ।

प्रार्थी की शिकायत पर थाना–सुपेला में प्रकरण के अन्य आरोपी मनोज भुतडा, केवल सेठिया एवं सत्य नारायण सेठिया के विरुद्ध अप०क्रं०–718/2026 धारा 317(2), 318(4) बीएनएस के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर, विवेचना में लिया गया । विवेचना के दौरान आवेदक/आरोपी से पूछताछ कर मेमोरण्डम कथन दर्ज किया जाकर जप्ती कार्यवाही किया गया एवं आवेदक/आरोपी को दिनांक 26.05.2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है । पुलिस द्वारा संपूर्ण विवेचना पश्चात विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.07.2026 को अभियोग पत्र पेश किया गया है । वर्तमान में प्रकरण आरोप पूर्व तर्क के स्तर पर कार्यवाही हेतु लंबित है ।

अभिलेख के अवलोकन से प्रकरण के अन्य आरोपी केवल सेठिया के कहने पर आवेदक विजय सोनी उसके साथ

विभिन्न बैंकों में जाकर उसके नाम पर खाता खुलवाने और उसके एवज में आरोपी केवल सेठिया से 25,000/–रु० प्राप्त किये जाने के अतिरिक्त आवेदक/आरोपी के विरुद्ध प्रकरण में अन्य कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है । उक्त बैंक खातों का संचालन आवेदक/आरोपी के द्वारा किया जाता था, ऐसा भी प्रकरण में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उसे प्रकरण के एक अन्य आरोपी मनोज भूतडा के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर प्रकरण में संलिप्त किया गया है ।

उक्त अपराध में आवेदक/आरोपी दिनांक 26.05.2026 से करीब 2 माह से अधिक समय से न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है । उसके विरुद्ध पूर्व में कोई अपराधिक रिकार्ड होने के संबंध में अभिलेख में कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है । आवेदक/आरोपी के विरुद्ध दर्ज अपराध अधिकतम 7 वर्ष तक की अवधि के लिए दंडनीय अपराध है एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है । प्रकरण के निराकरण में विलंब होने की संभावना है और यदि निर्णय के समय आरोपी को

दोषसिद्ध ठहराया जाता है तो उसे पर्याप्त रुप से दंडित किया जा सकता है ।

उपरोक्त परिस्थितियों एवं अभिलेख में आवेदक/आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध तथ्यों तथा उसके न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/आरोपी को जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह उपर्युक्त मामला होना दर्शित होता है। अतः आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत **प्रथम** जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा **483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,** इस शर्त के साथ **स्वीकार** किया जाता है कि यदि आवेदक/आरोपी, विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक सुनवाई तिथि पर उपस्थित रहने, अभियोजन साक्षियों को प्रभावित नहीं करने तथा अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करने, शर्ते सहित आरोपी की ओर से विचारण न्यायालय के संतुष्टि योग्य **25,000/- रूपये (पच्चीस हजार रूपये)** का सक्षम जमानतदार एवं उतनी ही राशि का स्वयं का मुचलका प्रस्तुत करे तो आवेदक/आरोपी विजय कुमार सोनी को जमानत पर रिहा किया जावे।

आदेश की प्रति अभिलेख के साथ संलग्न विचारण न्यायालय को सूचनार्थ प्रेषित किया जावे ।

प्रकरण की कार्यवाही समाप्त ।

परिणाम पंजी में दर्ज कर यह प्रकरण अभिलेखागार प्रेषित की जावे।

PURUSHOTTAM SINGH MARKAM
Digitally signed by PURUSHOTTAM SINGH MARKAM

(पी०एस०मरकाम)

अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश

दुर्ग (छ.ग.)

प्रतिलिपिः–

1. श्री भूपेश कुमार बसंत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग जिला–दुर्ग, (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2. केन्द्रीय जेल अधीक्षक, दुर्ग, जिला–दुर्ग,(छ.ग.)को सूचनार्थ प्रेषित।

PURUSHOTTAM SINGH MARKAM
Digitally signed by PURUSHOTTAM SINGH MARKAM

(पी०एस०मरकाम)

अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश

दुर्ग (छ.ग.)